झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 के वर्ग नवम (सत्र 2014-16) के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 88/2014

एतद् द्वारा सत्र 2014-16 के माध्यमिक परीक्षा, 2016 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वर्ग नवम में पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र (OMR Sheet) परिषद् कार्यालय में प्राप्त करने की तिथि निम्न रूप से निर्धारित की जाती है:-

पंजीयन आवेदन-प्रपत्र जमा करने का कार्यक्रम

प्रमण्डल का नाम	भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र विद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि (संध्या 5:00 बजे तक)	
	विलम्ब शुल्क रहित	विलम्ब शुल्क सहित	विलम्ब शुल्क रहित	विलम्ब शुल्क सहित
संथाल परगना प्रमण्डल	02.01.2015 से 17.01.2015 तक	27.01.2015 से 06.02.2015 तक	19.01.2015 से 20.01.2015 तक	09.02.2015 से 10.02.2015 तक
पलामू प्रमण्डल	02.01.2015 से 17.01.2015 तक	27.01.2015 से 06.02.2015 तक	19.01.2015 से 20.01.2015 तक	09.02.2015 से 10.02.2015 तक
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	02.01.2015 से 17.01.2015 तक	27.01.2015 से 06.02.2015 तक	19.01.2015 से 20.01.2015 तक	09.02.2015 से 10.02.2015 तक
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल	02.01.2015 से 17.01.2015 तक	27.01.2015 से 06.02.2015 तक	21.01.2015 से 22.01.2015 तक	09.02.2015 से 10.02.2015 तक
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल	02.01.2015 से 17.01.2015 तक	27.01.2015 से 06.02.2015 तक	22.01.2015 से 23.01.2015 तक	11.02.2015 से 12.02.2015 तक

※ संथाल परगना प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र (OMR Sheet) परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, बैरिया, मेदिनीनगर में जमा होगा।

निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए निम्नवत् पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

1. राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय। 2. सरकार द्वारा स्थापित 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 3. सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय। 4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984-85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 5. सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय। 6. कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय। 7. प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय। 8. स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)। 9. स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (गैर अनुदानित)। (10) केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय।

शुल्क की राशि

(क) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क:-
(पंजीयन शुल्क ₹75.00 देय नहीं होगा।)

(ख) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क:-
पंजीयन शुल्क - ₹75.00 प्रति छात्र।

(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार ही OMR Sheet परिषद् में जमा लिया जाएगा, OMR नष्ट या खराब होने की स्थिति में विद्यालय के अनुरोध पर सादा OMR की मांग पंजीयन जमा करने की अंतिम तिथि तक किया जा सकता है।

(घ) पूर्णतः स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए : पंजीयन शुल्क - ₹400.00, अनुमति शुल्क - ₹400.00 } ₹800.00

(ड़) पंजीयन विलम्ब शुल्क : ₹200.00।

(च) **क्रमांक 07 के विद्यालय प्रधानों को प्रस्वीकृति तथा क्रमांक 08 के विद्यालय प्रधानों को स्थापना अनुमति संबंधी पत्र एवं अनुदान का साक्ष्य एवं क्रमांक 09 के विद्यालय प्रधानों को स्थापना अनुमति संबंधी पत्र साथ में प्रस्तुत करना होगा।**

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", राँची** के नाम से देय एवं भुगतेय, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", दुमका** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", डाल्टेनगंज** के नाम से देय एवं भुगतेय होगा।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन-प्रपत्रों को अग्रसारित करने के लिए निम्नांकित कोटि के उच्च विद्यालयों के विद्यालय प्रधानों को अधिकृत किया जाता है:-

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय। 2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय। 4. अनुदानित स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या विद्यालय की संरचना एवं संसाधन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु विस्तृत निदेश विज्ञप्ति संख्या 80/2014 में दी जा चुकी है।

विज्ञप्ति संख्या- 80/2014 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (मोहन चाँद मुकिम)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा./7648/10/SECY/627/14 Dt.18.12.2014
D.O.P : 19.12.2014